जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

आज दिनांक 15.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नितिन पुत्र सलेक निवासी मोहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 18/21 धारा 394,411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 35/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री यूसुफ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.हे0का0 आशीष कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए 01 अभियुक्त से मोबाइल फोन टॉवर बैट्री (सैल) बरामद ।</u>

दिनांक 15.02.2024 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल फोन टॉवर से बैट्री (सैल) चोरी होने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त सरफराज पुत्र अनवर निवासी सिहाली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को उपरोक्त अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लाया गया तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं की निशादेही पर मोबाइल फोन टॉवर से चोरी की हुई बैट्री (सैल) बरामद कराई गई है ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 16/24 धारा 379/411 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली ।

<u>अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-</u>

1.मोबाइल फोन टॉवर की बैट्री (सैल)

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते 03 अलग-अलग मामलों में 11 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 22,200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

1. वर्ष 2001 में अभियुक्तगण 1.साजिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली 2.अब्बास पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 143/2001 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। **जिसके क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना, शामली द्वारा धारा** 5A गौवध निवारण अधिनियम में अभियुक्तगण उपरोक्त को 6000-6000/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में 7000-7000/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 में 100-100/- रुपये का अर्थदण्ड, उपरोक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1.राशीद पुत्र यूसुफ 2.माजिद पुत्र यूसुफ 3.साजिद पुत्र यूसुफ 4.रियासत पुत्र अलीहसन 5.हुन्ना पुत्र अमर सिंह 6.देवी सिंह पुत्र हुक्मा 7.शादीन पुत्र लक्खु 8.मुबारिक पुत्र मकसूद समस्त निवासीगण ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 595/2017 धारा 447 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। **जिसके क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा धारा** 447 भादवि में अभियुक्तगण उपरोक्त को 50**0-500/- रूपये का अर्थदंड,** अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2023 में अभियुक्त अशोक पुत्र तेजपाल निवासी जन्धेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 376/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। **जिसके क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा** धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त उपरोक्त को सुनाई 08 माह के कारावास की सजा व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.साजिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली
2.अब्बास पुत्र जहूर हसन निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली
3.राशीद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
4.माजिद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
5.साजिद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
6.रियासत पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
7.हुन्ना पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
8.देवी सिंह पुत्र हुक्मा निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
9.शादीन पुत्र लक्खु निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
10.मुबारिक पुत्र मकसूद निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
11.अशोक पुत्र तेजपाल निवासी जन्धेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>जिलाधिकारी शामली एवं पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव-24 के दृष्टिगत थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मतदान केन्द्रों भ्रमण कर सम्बन्धित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश-</u>

आज दिनांक 15.03.2024 को जिलाधिकारी शामली श्री रविन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।